

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की अनुसरण में पटवार हल्का ~~किमानपुरा उत्तराधा~~ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 15PTP की जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या एवं जमाबन्दी सम्वत	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	किमानपुरा उत्तराधा	चक 15PTP खाता सं. 6/19	इन्द्राज व 6 फूलचम	इन्द्राज पुत्र मन फूलराम

नोट :- शेष प्रविष्टि / यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन है तो यथावत रहेगा।



1115
(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी भिखान 2023
संगरिया (SDO)
दिनांक 11/5/23

क्रमांक :- सम/583

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी इन्द्राज पुत्र मन फूलराम जाते जाते सा. ~~किमानपुरा उत्तराधा~~
3. आदेश पत्रावली।

11/5/23
उपखण्ड अधिकारी भिखान 2023
संगरिया (SDO)
दिनांक 11/5/23